न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान सुजानगढ

राजस्व वाद संख्या : 75 / 2025
निर्णय दिनांक : 27.06.2025
दायर दिनांक – 13.05.2025
जीसीएमएस नं0– 2025 / 148

1. राजेश कुमार पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू
2. सुभाष चन्द्र पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू
3. अनिल कुमार पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. **श्री प्रार्थ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण।**
2. **अप्रार्थीगण राजपैरोकार।**

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **प्रस्तुत** कर निवेदन किया गया कि वे सुजानगढ़ जिला चूरू के निवासी है जिनके रोही **ग्राम** सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ में खेत खसरा संख्या 2359 / 591 तादादी 11. **6334** है0 संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजेश **कुमार** पुत्र कैलाश चन्द्र व सुभाष चन्द्र पुत्र कैलाश चन्द्र एवं अनिल कुमार पुत्र कैलाश **चन्द्र** दर्ज है जो कि गलत है, प्रार्थीगण का सही नाम राजेश कुमार पारीक पुत्र कैलाश

शंकर पारीक, सुभाष चन्द्र पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक एवं अनिल कुमार पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक है। प्रार्थीगणो के अन्य सरकारी दस्तावेजात में भी यही नाम अंकित है जो कि सही है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थीगण को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थीगण के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम राजेश कुमार पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक, सुभाष चन्द्र पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक एवं अनिल कुमार पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक है। अतः प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजेश कुमार पुत्र कैलाश चन्द्र व सुभाष चन्द्र पुत्र कैलाश चन्द्र एवं अनिल कुमार पुत्र कैलाश चन्द्र के स्थान पर राजेश कुमार पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक, सुभाष चन्द्र पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक एवं अनिल कुमार पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा यथा आधारकार्ड,, पैनकार्ड, मृत्युप्रमाण पत्र में भी प्रार्थीगण का नाम में इसी प्रकार अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा कैम्प स्थान सुजानगढ़ में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम सुजानगढ़ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ में खसरा संख्या 2359/591 तादादी 11.6334 है0 खातेदारी में दर्ज खातेदारों राजेश कुमार पुत्र कैलाश चन्द्र व सुभाष चन्द्र पुत्र कैलाश चन्द्र एवं अनिल कुमार 'पुत्र

कैलाश चन्द स्थान पर राजेश कुमार पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक, सुभाष चन्द्र पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक एवं अनिल कुमार पारीक पुत्र कैलाश शंकर पारीक दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा कैम्प स्थान सुजानगढ़ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़